न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 14 / 2024 दायरा दिनांक 10.07.2024
GCMS No. 2024/40

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. सुशीला पुत्री फौसू पत्नि रामजीलाल जाति जाटव निवासी जागदा तहसील कराहल जिला श्योपुर (म.प्र.)
2. बालकिशन पुत्र फौसू जाति जाटव निवासी कलौनी तहसील शाहबाद जिला बारां (राज0)
3. गुलशन पुत्र फौसू जाति जाटव निवासी पाजनटोरी तहसील शाहबाद जिला बारां (राज0)

– अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजकुमारी पुत्री फौसू पत्नि हजारी जाति जाटव निवासी जखौनी तहसील शाहबाद जिला बारां (राज0)
2. लच्छो पुत्री फौसू पत्नि महेशराम जाति जाटव निवासी खैरूना तहसील तहसील शाहबाद जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला–बारां राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित :–
श्री अरविन्द शर्मा, श्री कुबेर यादव – अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय दिनांक 28.08.2024

अपील विरूद्ध नामान्तकरण नम्बर 317 दिनांक 27.05.1994 ग्राम कलोनी,

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.05.1994 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम कलोनी में खाता संख्या नया 339 पुराना 291 के खसरा नम्बर 662/1 की 15 बीघा, खाता संख्या नया 207 पुराना 208 खसरा नम्बर 671 की रकबा 4.02 बीघा, खाता संख्या नया 352, पुराना 339 खसरा नम्बर 420 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.05 बीघा किता 2 रकबा 0.12 बीघा कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट क्रम 2 व 3 के नाम वर्तमान खाता जमाबन्दी दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि नामान्तरकरण संख्या 317 दिनांक 27.05.1994 मृतक फोसू के फौती नामान्तरकरण से रेस्पोडेण्ट्स क्रम 1 व 2 के नाम दर्ज की गई है। जो पूर्णतया, अवैध विधि विरूद्ध दर्ज की गई है।

मृतक फौसू अपीलान्ट्स व रेस्पोडेण्ट्स क्रम 1 व 2 का सजरा निम्न प्रकार है :–

फौसू

सुशीला पुत्री | बालकिशन पुत्र | गुलशन पुत्र | राजकुमारी पुत्री | लच्छो पुत्री

मृतक फोसू के अपीलाण्ट क्रम 1 व रेस्पोडेण्ट क्रम 2 व 3 कुल 3 पुत्रियां व अपीलान्ट्स क्रम 2 व 3 कुल 2 पुत्र कुल पांच वारिसान है। अपीलाधीन नामान्तरकरण केवल दो पुत्रियों रेस्पोडेण्ट क्रम 2 के नाम, हिन्दू उत्तराधिकार अधीनियम के विपरीत तस्दीक किया जाने से अवैध विधि विरूद्ध, होकर

Scanned with OKEN Scanner

निरस्तनीय है। अपीलाधीन नामान्तरकरण का ज्ञान दिनांक 12.05.2024 को किसान सम्मान निधि बाबत् रजि. करवाने को नकले प्राप्त करने पर हुआ। तिथि जानकारी से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

रेस्पोटेन्ट क्रम 1 व 2 ने उपस्थित होकर जबाव पेश कर निवेदन किया कि हमारे पिता फोसू की हम पांच सन्तान हैं। हमारा आपस में सगे भाई बहिन होकर खून का रिश्ता हैं। हमारे पिता की मृत्यु के कुछ दिनों बाद हमारी मॉ ने नाता विवाह कर लिया बालकिशन गुलशन सुशीला मॉ के साथ ग्राम पाजनटोरी चले गये। हमारी पूर्व में ही शादी हो गयी हम ससुराल चली गयी । हम पांचों भाई–बहिन एक ही पिता की सन्तान हैं। उक्त नामान्तरकरण में हमारे भाईयों व बहिन का नाम जोडने में हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलाण्ट् क्रम 1 ता 3 व रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 मृतक फोसू के पुत्री–पुत्री हैं। सम्पूर्ण कार्यवाही सर्वथा अवैध विधि विरूद्ध होने से नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील ने कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलाण्ट् क्रम 1 ता 3 व रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 मृतक फोसू के पुत्री–पुत्री हैं। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के अपील जबाव में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अपील की सभी मद स्वीकार की हैं तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के साथ–साथ अपीलान्ट क्रम 1 ता 3 का नाम जोडने का निवेदन किया है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम कलोनी का नामान्तरकरण संख्या 317 दिनांक 27.05.1994 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल नामान्तरकरण संख्या 317 दिनांक 27.05.1994 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner